

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1410 /2021

दिनांक :- 01.07.2021

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जोधपुर के आदेश क्रमांक प.11, (3) न्याय-2002, दिनांक 08.09.2005 गणित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम 30 दिवस के उपाजित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके अवकाशानुसार अधोनिखित तालिकानुसार उपाजित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पत्रिका में कर दी गई है।

| क्र. सं. | नाम अधिकारी एवं पदनाम | समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या | ब्लॉक वर्ष | समर्पित अवकाश की दिनांक |
|----------|--|----------------------------------|------------|-------------------------|
| 1 | श्री नीरज कुमार (RJ0368), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, परवतमर (नागौर)। | 30 | 2020-2022 | 18.06.2021 |

आज्ञा से,


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
दिनांक: 11/7/2021

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/76/2000/ 4147-

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जोधपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता।
3. श्री नीरज कुमार (RJ0368), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, परवतमर (नागौर)।


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
30.06.2021

also
जायसी
30/6/21

AOJ
30/6